न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0 --- 04/2019
प्रविष्टि दिनांक --- 08.01.2019

उनवान

1. प्रेमलाल पुत्र धर्मराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक
2. मुकेश पुत्र धर्मराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक
3. चन्दालाल पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

तहसीलदार साहब टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–

वकील वादी– श्री राजेश गुर्जर–II

दावा
दुरूस्ती इन्द्राज व उदघोषणा

दिनांक– 31/7/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की पुश्तेनी भूमि आराजी खसरा नम्बर 80, 586/1238, 1084/1242, 1084/1243, 1267/1243 कुल किता–5 कुल रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम छान तहसील व जिला टोंक में स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज अम्बालाल पुत्र माधो कोम गुर्जर के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी किसका अंकन जमाबन्दी संवत 2028 से 2042 में भी दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 306 मिन रकबा 17 बिस्वा थे, जो कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिस पर आज भी वादीगण काबिज, काश्त है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 306 मिन के नये नम्बर 596/1238 रकबा 17 बिस्वा बने थे, जिसका अंकन मिलान क्षैत्रफल वउक्त भूमि की नक्शाशीट में पूर्ण रूप से अंकित किये है। किनतु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 306 मिन के नये नम्बर 596/1238 रकबा 17 बिस्वा के स्थान पर त्रुटिपूर्ण खसरा नम्बर 586/1238 रकबा 17 बिस्वा के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी, जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 306 मिन के हाल खसरा नम्बर 596/1238 रकबा 17 बिस्वा बने थे, जिसका ही अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना था। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एंव उदघोषणा खातेदारी की पारित की जाकर उक्त भूमि खसरा नम्बर 586/1238 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम छान को त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर सही अंकन खसरा नम्बर 596/1238 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

छान का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर उक्तानुसार वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वकील प्रार्थी ने अपने दावे को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी 2070–73, ग्राम छान, 2028–47,नक्शाट्रेस, मिलान क्षेत्रफल,जमाबन्दी संवत 2017–20 ग्राम छान आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी की तलबी की गयी। प्रतिपक्षी तहसीलदार टोंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड गत व हाल तथा मौके पर वादियों के काबिज अनुसार खसरा नम्बर 586/1238 के स्थान पर 596/1238 दुरूस्त किये जाने हेतु जवाब प्रस्तुत है।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रतिवादीगण वादी के वादपत्र से सहमत है एंव दस्तावेजात से भी यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि से खसरा नम्बर 596/1238 के स्थान पर 586/1238 हो गया है। जबकि मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त त्रुटि दुरूस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 586/1238 के स्थान पर 596/1238 किये जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण बाबत दुरूस्ति ईन्द्राजात व उद्घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 586/1238 के स्थान पर 596/1238 अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एंव उसी अनुरूप खसरा नम्बर 596/1238 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्ति की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/7/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

1. प्रेमलाल पुत्र धर्मराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक
2. मुकेश पुत्र धर्मराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक
3. चन्दालाल पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

तहसीलदार साहब टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–

वकील वादी– श्री राजेश गुर्जर–II

दावा दुरूस्ती इन्द्राज व उद्घोषणा

प्रकरण संख्या–04/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 586/1238 के स्थान पर 596/1238 अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एंव उसी अनुरूप खसरा नम्बर 596/1238 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्ति की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31/7/2019 को जारी किया गया।

मोहर

(जगदीश आर्य)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner